न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 52 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सुरताराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी कांवों की बेरी रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजूराम पुत्र लालाराम
2.मंगलाराम पुत्र लालाराम
3.सुजानाराम पुत्र लालाराम
4.हनुमानराम पुत्र लालाराम
5.सिगरती पत्नी लालाराम जाति विश्नोई निवासी कांवो की बेरी, रोहिला पूर्व तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
6.श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना
7.श्रीमान प्रबंधक, एस.बी.आई.

शाखा

गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 77 / 2019 बअनवान राजू बनाम सुरता में पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री रोशनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़, श्री देवाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 29.09.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके लिये नये रास्ते की अनुमति चाही गई है। प्रार्थीगण ने अपने खसरा संख्या 43 व 44 के अन्य सह खातेदार द्वारा बाहमी बंटवाड़ा द्वारा अन्य खेत में काश्त होने से तथा उनके हित इस प्रार्थना–पत्र से नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाते हुए ग्राम कांवो की बेरी, पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 44 रकबा 16.12 बीघा तक पहुंचने के लिए नया रास्ता अपीलकर्ता के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खेत खसरा संख्या 41 रकबा 24.17 बीघा में से नया रास्ता की आवश्यकता बताई तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत वक्त सेटलमेंट से अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हुआ था और पिछले कई वर्षों से प्रार्थीगण विप्रार्थी के खसरा में सेढे के पास आये हुए रास्ते से प्रार्थीगण के खेत तक सेढा सेढ कदीमी रास्ता बनाकर चलते आ रहे है। जहां पर कटाण किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा संख्या 44 में आने जाने के लिए, जुताई के लिए, कृषि सामग्री ले जाने, बच्चों के स्कूल के लिए विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 41 परिशिष्ट'अ' बरंग लाल व हरा की जगह में से चलते आ रहे है परन्तु वर्षा ऋतु होने पर विप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद कर देते, जिससे प्रार्थीगण को रास्ते के उपयोग में रूकावट पैदा करते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नाया रास्ता स्वीकृत कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर आपति पेश की गई जो आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, जिससे अपीलाधीन आराजी को दो भागों में विभाजित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा मंगवाई मौका फर्द दिनांक 25.02.2020 में स्पष्ट आया है कि बिंदु E से F उतरदातागण को अपनी जोत में

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आने जाने हेतु रास्ते का निकटतम विकल्प मौजूद है जिसको उत्तरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि मौजा कावों की बेरी पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 44 रकबा 16.12 बीघा भूमि में आने–जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करवा दी गई है तथा रास्ते के रूप में 01.06 बीघा भूमि की जरूरत है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रदत्त रास्ते के अलावा खसरा संख्या 44 में आने जाने हेतु परिशिष्ट'अ' में वर्णित खसरा संख्या 41 में प्रस्तावित दो रास्तों तथा खसरा संख्या 48 से लगता कोई अन्य निकटतम वैकल्पिक रास्ता हो तो उक्त तीनों में से निकटतम दूरी के रास्ते की स्थिति स्पष्ट करवाने हेतु तहसीलदार धौरीमन्ना को जरिये पत्रांक 12 दिनांक 08.01.2020 को लिखा गया। उपरोक्त आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालना में मौका फर्द दिनांक 25.02.2020 के विंदु संख्या 01 (प्रथम विकल्प) खसरा संख्या 41 रकबा 24.17 बीघा में से संलग्न नक्शे में प्रस्तावित ए से बी रास्ते की लम्बाई 172 गट्ठा व चौड़ाई 03 गट्ठा होने से रकबा 1.06 बीघा भूमि रास्ते में प्रयुक्त होगी जिसे नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है लेकिन इस मार्ग से खसरा दो भागों में विभक्त होगा वर्तमान में इस जगह कोई रास्ता चालू नहीं है। बिंदु संख्या 02 (द्वितीय विकल्प) खसरा संख्या 41 रकबा 24.17 बीघा में से 52 गट्ठा तथा खसरा संख्या 48 रकबा 29 बीघा में से 42 गट्ठा प्रस्तावित रास्ते में भूमि प्रयुक्त होगी जिसका रकबा 0.14 बीघा होगी जिसे संलग्न नक्शे में सी से डी गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। बिंदु सी से डी प्रस्तावित रास्ते से खसरा संख्या 48 दो भागों में विभक्त होगा। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू नहीं है। मौका फर्द दिनांक 25.02.2020 के बिंदु संख्या 03 (तृतीय विकल्प) खसरा संख्या 47 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै.मु. जो मौके पर खाली है, में से 06 गट्ठा, **खसरा संख्या 48 रकबा 29 बीघा किस्म बा.दो. मे से 82 गट्ठा तथा खसरा संख्या 54 रकबा 32.15 बीघा किस्म बा.दो. में से 24 गट्ठा प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई है जिसमें कुल लम्बाई 112 गट्ठा व चौड़ाई 03 गट्ठा से प्रस्तावित रास्ते में 0.17 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी,** जिसे संलग्न नक्शे में **ई से एफ** दर्शाया गया है जो बरंग पीला है। **उक्त प्रस्तावित रास्ते पर वर्तमान में कई वर्षों से आवागमन चालू है जो रा.उ.प्रा. वि. कावों की बेरी से होते हुए ग्राम सुनारों की बेरी डामर सड़क तक जाता है।** उक्त मौका फर्द पर रेस्पोडेंट द्वारा आपति करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने के दिनांक 02.03.2020 को आदेश पारित किये गये। उपरोक्त आदेश की पालना में मौका फर्द दिनांक 25.03.2021 तैयार की गई जिसमें प्रथम विकल्प ए से बी रास्ता हेतु उपयुक्त विकल्प बताया गया जबकि तसरे विकल्प का विवरण ही नहीं दिया गया। इसलिए दिनांक 25.03.2021 को तैयार मौका रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से 172 गट्ठा लंबा रास्ता अपीलांट की जोत को दो भागों में विभक्त करते हुए दिया गया जबकि मौका

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फर्द दिनांक 25.02.2020 के बिंदु संख्या 03 में 112 गट्ठा लंबा रास्ता देने की कार्यवाही नहीं की गई। प्रदत्त रास्ते के अलावा अन्य प्रस्तावित रास्ता जिसकी कुल लम्बाई 112 गट्ठा व चौड़ाई 03 गट्ठा कुल रकबा 0.17 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी, जिसे संलग्न नक्शे में ई से एफ दर्शाया गया है जो बरंग पीला है, लघुत्तम दूरी वाला रास्ते का विकल्प उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाद परीक्षण विधिक दृष्टि से त्रुटि दृष्टिगोचर होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 77/2019 बअनवान राजू बनाम सुरता में पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 47, 48 व 54 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयाजित किया जाकर हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार मौका फर्द दिनांक 25.02.2020 में उल्लेखित तीसरे विकल्प के अनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2021 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(सुदर्शन बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर